न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री मंडार जैन संघ, मण्डार जरिये अधिकृत प्रतिनिधि व न्यासी श्री मोतीलाल पुत्र बाबुलालजी, जाति- जैन, निवासी- मण्ड़ार, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

ग्राम पंचायत, मण्ड़ार जरिये सरपंच, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

''निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994''

पंचायत निगरानी संख्या: 24/2015

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री अश्विन कुमार मरडिया, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार राजपुरोहित, अप्रार्थी की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक 04 मई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा श्री मंडार जैन संघ, मण्डार के विरुद्ध जारी स्थगन आदेश क्रमांक:ग्रा.पं./2015/316 दिनांक 23.6.2015 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्डार की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्ड़ार की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मरडिया ने बहस के दौरान निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त 2006(2)DNJ(Raj.) Page 681 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी मंडार जैन संघ, ग्राम मण्ड़ार, तहसील- रेवदर की पंजीकृत न्यास है। उक्त न्यास जैन समाज द्वारा समाज व समाज की सम्पति की सुरक्षा व यवस्था हेतु गठित न्यास है। न्यास पंजीयन के पूर्व उक्त समाज को पंच महाजनान के नाम से जाना जाता था। प्रार्थी की अचल सम्पति जो पेचका के नाम से जानी जाती है, जो ग्राम मण्डार में स्थित है एवं उक्त भूमि के खसरा संख्या 943 व 944 है। प्रार्थी ने अपने स्वामित्व की उक्त भूमि को विधि अनुसार कृषि से अकृषि आबादी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया है एवं ग्राम पंचायत, मण्ड़ार में संपरिवर्तन का शुल्क भी जमा हुआ है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर भवन निर्माण आरंभ करवाने हेतु ग्राम पंचायत को दिनांक 09.12.2014 को आवेदन किया था। ग्राम पंचायत द्वारा पर्याप्त अवधि व अनेकों तकाजों के उपरान्त भी निर्माण अनुमति प्रदान नही किये जाने पर प्रार्थी ने भवन निर्माण आरंभ करवाया। जिस पर अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने प्रार्थी के स्वामित्व

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

को चुनौती देते हुए प्रश्नगत आदेश/नोटिस क्रमांक:ग्रा.पं./2015/316 दिनांक 23.6.2015 के जरिये निर्माण कार्य को रोकने हेतु स्थगन आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है और विद्यमान रखे जाने योग्य नही है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 अथवा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में भवन निर्माण हेतु अनुमति के लिये जाने का कोई प्रावधान नही है, उसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार भवन निर्माण हेतु आवेदन दिनांक 09.12.2014 को प्रस्तुत किया था जिसकी प्रार्थना पत्र शुल्क की रसीद संख्या 1253 ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गई है। उक्त आवेदन के साथ प्रार्थी द्वारा स्वत्व प्रलेख भी प्रस्तुत किये गये। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 68 के तहत केवल मात्र निर्माण अनुमति शुल्क वसूल करने का ही अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवेदन का निस्तारण समुचित अवधि के उपरान्त भी न किया जाना दुराशय प्रकट करता है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने आदेश दिनांक 23.6.2015 के जरिये पंच महाजनान के खातेदारी व स्वत्व को चुनौती प्रलेखों की मांग की है। पंच महाजनान् को उक्त भूमि जागीर समय में तत्कालीन सिरोही रियासत द्वारा प्रदत्त की गई थी। सिरोही राज्य सार्वभौम सत्तायुक्त राज्य था और रियासत में स्थित भूमि का स्वामी था। जिसे कोई भी भूमि किसी को भी प्रदत्त करने का निर्बाध अधिकार था। पंच महाजनान द्वारा जैन समाज की सम्पति के पट्टे बनाने हेतु सिरोही रियासत से मांग करने पर सिरोही रिसायत द्वारा जारी राजपत्र (गजट नोटिफीकेशन) दिनांक 01.9.1946 को जारी हुआ है, जिसमें जैन समाज धर्मशाला की भूमि के पूर्व दिशा में पेचगा पंच महाजनान होना अंकित किया है। सिरोही रियासत के समय कस्बा मण्डार की आबादी भूमि का जारी नक्शा व मिलान सीट में भी विवादित भूमि पेचका का जाव पंच महाजनान के नाम से दर्ज है। रियासत के राजस्थान राज्य में विलीनीकरण पर रियासत द्वारा किये गये कार्यो को चुनौती न देने के संबंध में श्वेत पत्र भी जारी हुआ। प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर प्रश्न करने का अधिकार अप्रार्थी ग्राम पंचायत को नही है। प्रार्थी को निर्माण स्वीकृति प्रदान न कर अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा प्रार्थी के स्वत्व को चुनौती देते हुए जारी स्थगन आदेश विधि विरुद्ध और अपास्त योग्य है। प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत के स्वत्व की नही है, यह तथ्य स्वयं आदेश/नोटिस क्रमांक:ग्रा.पं./2015/316 दिनांक 23.6.2015 से प्रमाणित है। उक्त भूमि निजी भूमि है। प्रार्थी की स्वत्व की भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा चुनोती नही दी गई है। प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य किये जा रही भूमि में अन्य कोई व्यक्ति किसी प्रकार का हित रखता है तो यह दिवानी अधिकारों का विवाद है और निजी भूमि के विवाद ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकारिता से बाहर है। अप्रार्थी ग्रम पंचायत, मण्ड़ार को प्रार्थी के स्वामित्व प्रलेख की जांच व मांग करने का विधि में अधिकार नही है और न ही अप्रार्थी को प्रार्थी के स्वत्व को चुनौती देने का अधिकार है। अप्रार्थी का दायित्व केवल मात्र निर्माण शुल्क लेकर निर्माण अनुमति प्रदान करना है। भूमि में कोई अन्य व्यक्ति किसी प्रकार का दावा रखता है तो वह सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अप्रार्थी द्वारा निर्माण अनुमति शुल्क न लेकर जारी किया गया स्थगन आदेश सारवान अवैधता के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रश्नगत आदेश/नोटिस क्रमांक:ग्रा.पं./2015/316 दिनांक 23.6.2015 में भी अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्न उठाया

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

गया था कि किस आदेश से उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज हुई। उक्त नोटिस से भी यह तथ्य निर्विवाद है कि उक्त भूमि पंच महाजनान् के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने की जानकारी ग्राम पंचायत को है। राजस्व भूमि के संबंध में भी विवाद ग्राम पंचायत के श्रवणाधिकार का नही है। राजस्व अभिलेख में हुआ परिवर्तन सक्षम राजस्व अधिकारी के आदेश से ही हुआ है। प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य की जा रही भूमि को अप्रार्थी राजस्व भूमि होना मान रहे है तो अन्यथा भी उस पर निर्माण के बारे में ग्राम पंचायत से अनुमति की आवश्यकता नही है। राजस्व भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु उपयोग प्रार्थी द्वारा लिया जाता है तो उस संबंध में आपत्ति करने का अधिकार केवल मात्र राजस्व विभाग को है, न कि ग्राम पंचायत को है। ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा उक्त भूमि के संपरिवर्तन की कार्यवाही के दौरान किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही की गई। प्रार्थी ने निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 09.12.2014 के साथ अपने स्वामित्व प्रलेख अप्रार्थी को प्रदत्त कर दिये थे। अप्रार्थी द्वारा प्रेषित नोटिस क्रमांक:ग्रा.पं./2015/316 दिनांक 23.6.2015 के उत्तर दिनांक 25.6.2015 के जरिये भी अप्रार्थी की जानकारी में स्वत्व व निर्माण के संबंध में सम्पूर्ण तथ्य मय दस्तावेज लाये जा चुके है, फिर भी उक्त तथ्यों और दस्तावेजों को नजर अंदाज कर अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत नोटिस उन्ही तथ्यों के संबंध में प्रेषित किया गया है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा जारी नोटिस क्रमांक:ग्रा.पं./2015/316 दिनांक 23.6.2015 के जरिये प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज होने के संबंध में किये गये प्रश्न से उक्त स्वत्व प्रलेख व निर्माण आवेदन की जानकारी अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्ड़ार को होना स्पष्ट प्रमाणित है। विवादित भूमि पंच महाजनान के स्वामित्व की है। भूमि के हक का प्रश्न सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही निर्णित किया जाना चाहिये, न कि ग्राम पंचायत को तय करना चाहिये। अत: प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नोटिस दिनांक 23.6.2015 को निरस्त किया जावे एवं प्रार्थी को निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायत, मण्ड़ार को निर्देशित किया जावे। जबकि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्ड़ार के विद्वान अधिवक्ता श्री राजपुरोहित ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ने ग्राम मण्ड़ार में स्थित सार्वजनिक पेचके की भूमि पर अपना कब्जा एवं अधिकार जताते हुए यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन परिपोषणीय नही है। ग्राम मण्डार के खसरा संख्या 943 व 944 की भूमि में ग्राम मण्ड़ार का आम सार्वजनिक पेचका स्थित है, जिसका उपयोग व उपभोग सार्वजनिक पेचके की भूमि के रुप में सदियों से ग्राम मण्ड़ार के नागरिक करते आ रहे है। प्रार्थी द्वारा ग्राम मण्ड़ार के सार्वजनिक पेचके की भूमि का ग्राम पंचायत, मण्ड़ार की अनापत्ति प्राप्त किये बिना ही आबादी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया है, जो कानूनन गलत है। प्रार्थी मंडार जैन संघ, मण्ड़ार द्वारा सार्वजनिक पेचके की भूमि का गलत रुप से संपरिवर्तन कराने से ग्राम मण्ड़ार के नागरिकों द्वारा सार्वजनिक पेचके की भूमि के संपरिवर्तन आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर में अपील प्रस्तुत की हुई है जो माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर में विचाराधीन है। प्रार्थी जैन संघ द्वारा गलत रुप से संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने हेतु ग्राम पंचायत, मण्ड़ार में निर्माण कार्य की अनुमति हेतु आवेदन करने पर ग्राम मण्ड़ार के आम नागरिकों द्वारा

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

ग्राम पंचायत एवं उच्चाधिकारियों को आपत्ति प्रस्तुत कर निर्माण स्वीकृति नही जारी करने का अनुरोध किया। तब ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा मंडार जैन संघ, मण्ड़ार से विवादित भूमि के संबंध में उनके स्वामित्व के दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया, लेकिन फिर भी जैन संघ द्वारा विवादित भूमि के स्वामित्व संबंधी किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया। जिस पर ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा श्री मंडार जैन संघ, मण्ड़ार के विरुद्ध अवैध निर्माण स्थगन नोटिस जारी किया। जिसके विरुद्ध श्री मंडार जैन संघ द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जो विधि में किसी भी रुप से परिपोषणीय नही है। जैन संघ मण्डार के पास भूमि कैसे आई इस संबंध में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज जैन संघ मण्डार के पास नही है, जबकि विवादित भूमि ग्राम मण्ड़ार के आम सार्वजनिक पेचके की भूमि है जिसका उपयोग एवं उपभोग मण्डार ग्राम की आम जनता सदियों से करती आ रही है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत मण्डार में विवादित भूमि पर निर्माण बाबत अनुमति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र को सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा पंचायत के सभी सदस्यों के समक्ष रखने का दिनांक 21.2.2015 को आदेश पारित किया। जिस पर दिनांक 01.5.2015 को पत्रावली पंचायत बैठक में सभी सदस्यों के सामने रखी गई जिसमें पंचायत के सदस्यों एवं सरपंच द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विवादित भूमि स्टेट समय से माफी धर्मादा पौभराई बऐतमाम पंच महानज के नाम दर्ज थी जो बाद में यह भूमि पंच महाजनान के नाम से किस आदेश के तहत दर्ज हुई है, के संबंध में राजस्व रेकर्ड प्राप्त कर पत्रावली आगामी बैठक में रखी जावे। इसके बाद दिनांक 07.5.2015 को पत्रावली पुन: पंचायत बैठक में रखी गई जिसमें सरपंच महोदय द्वारा संवत 2016 से 2018 तक की जमाबन्दी एवं संवत 201 से 2024 तक की जमाबन्दी की नकल प्राप्त कर प्रस्तुत की जिसमें संवत 2016 से 2019 तक विवादित भूमि धर्मादा पौभराई बऐतमाम पंच महाजनान के नाम दर्ज थी जो संवत 2021 की जमाबन्दी में बिना किसी आदेश या नामान्तरकरण के सीधे ही पंच महाजनान के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। इस संबंध में बैठक में राजस्व दस्तावेज प्राप्त करके पत्रावली ग्रामसभा की बैठक में रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 03.5.2015 को प्रार्थी के निर्माण स्वीकृति आवेदन संबंधी पत्रावली को ग्रामसभा के सम्मुख रखा गया। ग्राम सभा में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर ग्रामसभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि खसरा संख्या 943 व 944 की भूमि स्टेट समय से माफी धर्मादा पौभराई बऐतमाम पंच महाजनान के नाम दर्ज थी जो बाद में यह भूमि पंच महाजनान के नाम किसी नियम व आदेश के द्वारा दर्ज हुई है, इस संबंध में मण्ड़ार जैन संघ से कार्यवाही के सम्पूर्ण दस्तावेजात ग्राम पंचायत में पेश करने हेतु लिखा जाने एवं इसके बाद ही स्वीकृति बाबत निर्णय पर विचार विमर्श किया जाने का प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित किया गया। इसके बाद दिनांक 23.6.2015 को ग्राम पंचायत मण्डार को सूचना मिली की प्रार्थी जैन संघ द्वारा ग्राम पंचायत, मण्ड़ार की निर्माण स्वीकृति के बिना ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है, तब ग्राम पंचायत की बैठकों में लिये गये निर्णयों अनुसार दिनांक 23.6.2015 को स्थगन आदेश जारी कर प्रश्नगत भूमि के संबंध में जो कि स्टेट समय में माफी धर्मादा पौभराई बऐतमाम पंचमहाजनान से पंच महाजनान के नाम खातेदारी किस आधार पर दर्ज हुई है, के संबंध

....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

में साक्ष्य पेश करने हेतु प्रार्थी जैन संघ को सूचित किया गया। उसके बावजूद भी प्रार्थी जैन संघ द्वारा अभी तक ग्राम पंचायत में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। प्रार्थी जैन संघ ने विवादित भूमि का लोकोपयोगी प्रयोजन संपरिवर्तन भी राजस्व कार्मिकों व अधिकारियों की मिली भगत से करवा लिया। संपरिवर्तन आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील विचाराधीन है। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2016 से 2019 तक में विवादित भूमि माफी धर्मादा पौभराई ऐतमाम पंच महाजनान के नाम अंकित है। बऐतमाम से अभिप्राय: केवल व्यवस्था के रुप में है। मिसल बन्दोबस्त में संवत 2033 में विवादित भूमि माफी धर्मादा पौभराई के नाम से दर्ज है। विवादित भूमि पंच महाजनान के नाम से बतौर खातेदार बिना किसी आदेश व नामान्तरकरण के गलत रुप से दर्ज हुई, जिसको दुरस्त कराने हेतु ग्राम मण्डार के नागरिकों द्वारा भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) रेवदर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो भू अभिलेख अधिकारी, रेवदर के न्यायालय में विचाराधीन है। विवादित भूमि किसी व्यक्ति की विशेष या संस्था विशेष की भूमि नही होकर ग्राम मण्ड़ार की आम सार्वजनिक पेचके की भूमि है एवं आम सार्वजनिक भूमि की देख रेख करने का जिम्मा ग्राम पंचायत का है, इसी आधार पर ग्राम पंचायत, मण्ड़ार ने अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए प्रार्थी द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को रोकने का आदेश पारित किया गया। प्रार्थी जैन संघ ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 68 की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने पर ग्राम पंचायत द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के उपबन्धों के आधार पर जहां भूमि गांव के नागरिकों द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु धारित की गई है जिसका उपयोग व उपभोग गांव के आम नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। ऐसी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है, फिर भी राजस्व कार्मिकों व अधिकारियों से मेल मिलाप कर विवादित भूमि को बिना किसी आदेश व बिना किसी नामान्तरकरण के पंच महाजनान के नाम से बतौर खातेदार दर्ज कर दिया है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा श्री मंडार जैन संघ, मण्ड़ार के विरुद्ध निर्माण कार्य बंद करने के संबंध में स्थगन आदेश क्रमांक:ग्रा.प./2015/316 दिनांक 23.6.2015 को इस आशय का जारी किया गया है कि "आपके द्वारा बिना निर्माण स्वीकृति के निर्माण कार्य शुरु किया गया है। ग्राम पंचायत को प्राप्त जानकारी अनुसार यह भूमि स्टेट समय से माफी धर्मादा पो भराई पंच महाजन के नाम दर्ज थी। परन्तु बाद में यह भूमि पंच महाजन खातेदार के नाम किस आदेशानुसार दर्ज हुई इस संबंध में अपने साक्ष्य दस्तावेज सम्पूर्ण कार्यवाही अनुसार पेश कर नियमानुसार एन.ओ.सी. प्राप्त कर ही अपना निर्माण कार्य करावे। अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।"

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि जमाबन्दी संवत 2016-2019 में ग्राम मण्डार के खसरा संख्या 943 रकबा 4.01 बीघा व खसरा

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

संख्या 944 रकबा 0.11 बीघा भूमि माफी धर्मादा पो भराई बएहतमाम पंच महाजनान सा. देह दर्ज थी एवं जमाबन्दी संवत 2021-2024 में खसरा संख्या 943 रकबा 4.01 बीघा व खसरा संख्या 944 रकबा 0.11 बीघा भूमि पंच महाजनान सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज हुई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी) रेवदर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2016 अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अनवान सतीश भाई बनाम सरकार व अन्य में तहसीलदार, रेवदर के पत्र कमांक:भू.अ./2018/137 दिनांक 19.1.2018 के द्वारा प्रस्तुत जवाब में बिन्दु संख्या- 2 में यह अंकित किया है कि जमाबन्दी संवत 2016-19 में उक्त विवादित आराजी माफी धर्मादा पौ भराई ब.ए.हतमाम पंच महाजनान के नाम दर्ज थी, जो बिना किसी नामान्तरकरण के जमाबंदी संवत 2024-2027 में माफी धर्मादा पौ भराई को हटाकर पंच महाजनान खातेदार दर्ज हुई है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अर्न्तगत कार्यवाही भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी) रेवदर के न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि उपखण्ड़ अधिकारी, रेवदर द्वारा ग्राम मण्डार के खसरा संख्या 943 रकबा 4.01 बीघा भूमि में से रकबा 3.01 बीघा अर्थात् 4937.16 वर्गमीटर भूमि का कृषि से अकृषि लोकोपयोगी प्रयोजन हेतु जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांक/राजस्व/भूमि-रुपा./14/707-10 दिनांक 15.9.2014 के विरुद्ध भी माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर में अपील विचाराधीन है।

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि सिरोही रियासत द्वारा जारी राज पत्र दिनांक 01.9.1946 में धर्मशाला की भूमि के पूर्व दिशा में पेचगा पंच महाजनान होना अंकित किया है। सिरोही रियासत के समय कस्बा मण्डार की आबादी भूमि का जारी नक्शा व मिलान सीट में भी विवादित भूमि पेचगा का जाव पंच महाजनान के नाम से दर्ज है। इससे यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि पेचका की भूमि है तथा सामान्यत: पेचका भूमि शब्द से अभिप्राय सार्वजनिक भूमि ही होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि यह निगरानी प्रार्थना पंच महाजनान द्वारा प्रस्तुत नही किया जाकर श्री मंडार जैन संघ, मण्डार द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

चूंकि विवादित भूमि के संबंध में उपुर्यक्तानुसार विभिन्न न्यायालयों में मामला विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में, ग्राम पंचायत, मण्ड़ार द्वारा जारी स्थगन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी) 04.05.2018
अति0 जिला कलेक्टर, सिरोही